न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 141 / 2024
किस्म :–प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 01.10.2024

अनवान

1. गोपाललाल पिता सोहनलाल ईनानी, निवासी कोटड़ी तहसील रेलमगरा निवासी रेलमगरा हाल0 राजस्थान सोसायटी नडियाद जिला खेडा, गुजरात
2. माधुलाल पिता भैराजी लौहार निवासी कोटड़ी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
3. लच्छीराम पुत्र भैराजी लौहार निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
4. सोहनलाल पिता भैराजी लौहार निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
5. हीरालाल पिता भैराजी लौहार निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमं

......प्रार्थीगण

बनाम

छोगालाल पिता कालुजी जाट निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद **विपक्षी**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः–

प्रार्थी की ओर से :–अधिवक्ता नवलसिंह राणा

–ःनिर्णयः–

दिनांकः 07.01.2026

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 रिकॉर्ड मे रास्ता दर्ज करने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण की सटमा कृषिं भूमि राजस्व ग्राम दरीबा पटवार हल्का मेहन्दुरिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद में स्थित आराजी संख्या 580 रकबा 0.4209 हैक्टेयर व आराजी संख्या 582 रकबा 0.5989 हैक्टेयर कृषि भूमियां स्थित है। उक्त कॉलम संख्या 01 में वर्णित आराजी के दक्षिणी दिषां में आराजी संख्या 586 रकबा 0.9712 हैक्टेयर स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में जमकु पुत्र नाथुजी जाट निवासी कोटड़ी के नाम दर्ज रेकार्ड है जमकु की मृत्यु हो चुकी है एवं जमकु का विधिक वारिसान विपक्षी है जिसका ही आधिपत्य अभी उक्त आराजी पर है। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 में वर्णित आराजी में आने जाने हेतु अपनी आराजी के दक्षिणी दिषा की पाली से होकर विपक्षी की आराजी में उत्तरी पूर्वी दिषा की भूमि में से होकर रास्ते के रूप में उपयोग लेते चले आ रहे है जो रास्त दरीबा कोटडी सडक पर मिलता है। प्रार्थीगण अपनी आराजी 580, 582 में आने–जाने, हल–बैल, बैलगाडी ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने एवं काष्त करने हेतु आराजी संख्या 586 में से होकर उसकी उत्तरी पूर्वी पाली से सटमा भूमि में से होकर अपनी आराजी संख्या 580, 582 में प्रवेषं कर रास्ते का उपयोग उपभोग कर हल, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि काष्त करने हेतु साधन सुविधा वर्षो से लाते जाते हैं और उक्त रास्ते से इनानी समाज के लोग अपनी ईष्ट सतीमाता के स्थान पर जाने हेतु भी उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थीगण व ईनानी समाज के लोग अपने पूर्वजों के समय से ही उक्त रास्ते का उपयोग–उपभोग, निरन्तर निर्वघ्न रूप से आधिकार पूर्वक करते चले आ रहे हैं एवं आराजी संख्या 586 की खातेदार जीवित थी तब भी रास्ते का उपयोग–उपभोग प्रार्थीगण करते चले आ रहे हैं लेकिन उसकी मृत्यु के पष्चात् उसका विधिक वारिस विपक्षी ने उक्त रास्ते को हांककर अपनी भूमि काष्त की भूमि में मिला दिया व प्रार्थीगण को रास्ते के लिये परेषान कर रहा है। आराजी संख्या 586 वर्तमान में झमकू के नाम दर्ज होने व विपक्षी उसका विधिक वारिसान होने से विपक्षी जबरन अपने मुजबल व धनबल के आधार पर प्रार्थीगण को उक्त रास्ते उपयोग–उपभोग नहीं करने देकर व्यवधान, रूकावट बाधा कारित करता है। प्रार्थीगण को जबरन अपनी आराजी संख्या 580, 582 के उपयोग–उपभोग में कृषि कार्य करने में रास्ते में आने जाने हेतु रूकावट, बाधा कारित कर रहा है तथा वर्तमान में उक्त रास्ते को तारबंदी लगाकर व हांक कर बंद कर दिया है तथा कहता है कि उक्त आराजी मेरी है जिसमें

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

उक्त रास्ते से प्रार्थीगण को नहीं आने–जाने दूंगा जबकि प्रार्थीगण ने अपनी उक्त आराजी में आने–जाने हेतु कदिमि रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक एवं रेकार्डेड रास्ता मौक पर विद्यमान नहीं है तथा उक्त रास्ते की प्रार्थीगण को सख्त आवष्यकता है तथा प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात में आने–जाने हेतु उक्त रास्ता अपने निवास स्थान से निकटतम है एंव अन्य कोई वैकल्पिक अथवा रेकार्डेड रास्ता प्रार्थीगण के लिये अपनी आराजी में आने–जाने हेतु नहीं है जिस कारण प्रार्थीगण को विपक्षी आये दिन रास्ते को लेकर परेषांन करते है जिस कारण वो मजबुर होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण के रास्ते में लगातार बाधा कारित कर रहा है तथा आज से 05 दिन पूर्व भी प्रार्थीगण उक्त रास्ते में अपनी आराजी में ट्रेक्टर लेकर खेत जोतने के लिये जाने लगे तो विपक्षी ने आगे तारबंदी कर रासते की भूमि को हांक कर बंद कर दिया व लड़ाई–झगड़ा करने पर उतारू हो गया तब से प्रार्थना पत्र का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को रास्ता अपनी आराजी संख्या 582, 580 में हल बैल, बैलगाडी, ट्रेक्टर लाने ले जाने एवं इनानी समाज के लोगों को अपनी ईष्ट सतीमाता के स्थान तक आने–जाने के लिये आराजी संख्या 580 की उत्तरी–पूर्वी पाली से सटमा भूमि में होते हुए दक्षिण की तरफ कोटडी दरीबा रोड तक 20 फीट चौड़ाई व सम्पूर्ण लम्बाई में प्रार्थीगण की आराजी संख्या 582 की दक्षिणी पाली तक विपक्षी से दिलाये जाने का आदेषं प्रदान कराया जावें। उक्त रास्ते की एवज में न्यायालय आप द्वारा जो भी प्रतिकर नियमानुसार निष्चित किया जात हैं वो प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रतिकर अदा करने के पष्चात् उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में एवं नक्शां ट्रेस में भी इन्द्राज कराया जावें। अन्य समुचित सहायता जो प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हो वह भी दिलाई जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी सं. 01 अनुपस्थिति। जिससे न्यायालय में बार – बार आवाज दिलवाई गई। बावजूद सूचना अनुपस्थित। इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार रेलमगरा से मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। जो प्राप्त हुई। जिसका विवरण निम्नानुसार है – 1 राजस्व ग्राम दरिबा के आराजी नंबर 580 व 582 प्रार्थीगणों के द्वारा आने जाने हेतू रास्ता नहीं होने से आराजी संख्या 586 की उत्तरी पूर्वी पाली से सटमा 20 फीट चौडा रास्ता चाहा गया। 2 आराजी संख्या 586 रकबा 0.9712 हैक्टर किस्म बंझड जमकु पुत्र नाथु जाट निवासी कोटडी के नाम राजस्व रेकर्ड है। 3 प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता निन्तात आवष्यक है एवं उक्त चाहे गये रास्ते के अलावा कोई अन्य मौजूदा रास्ता नहीं है। 4 प्रस्तावित रास्ते में से आराजी संख्या 806 में लम्बाई 466 फीट एवं 20 चाडाई कुल रकबा 9320 वर्गफीट अर्थात 866.17 वर्गमीटर भूमि प्रभावित होगी। 5 रास्ते पर मौके पर कोई निर्माण पेड नही है। 6 प्रस्तावित रास्ता ग्राम दरिबा के आराजी संख्या 837 किस्म बिलानाम रास्ते से मिलता है। जिसकी डी.एल.सी दर 6063400 रूपये प्रति हेक्टर है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सूनी गई। जिसमें अधिवक्ता ने तहसीदार रेलमगरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिलवाते हुए राजस्व रेकर्ड में अंकन हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने से जाहिर आया है कि प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की आवष्यकता प्रतीत नही होती है। अतः आदेषं सुनाया जाता है कि –

:: आदेशं ::

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुंमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(बिन्दु बाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा